यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** के माह 12/2012 से माह 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2017 से 28.08.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा राज्य के अन्तर्गत निवासरत गरीब अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर उनका शैक्षिक एवं चारित्रिक उन्नयन करना।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	109.11	107.70	1.41	35.61	35.53	0.08
2015-16	Nil	Nil	121.19	119.44	1.75	46.37	46.24	0.13
2016-17	Nil	Nil	147.30	136.52	10.78	47.27	43.99	3.28

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, जनजाति कल्याण** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**सी**...श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, जनजाति कल्याण; ⟶ प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2015 एवं 02/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तरः 01 अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय में बिना अनुमति के नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों पर धनराशि रु0 85.82 लाख का अनुचित व्यय किया जाना।

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया है कि निर्धन अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में लाने के सम्बन्ध में ठोस प्रयास किये जा सकें। इसी क्रम में राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गयी। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पंजीकृत कर निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी एवं दवा की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत विद्यालय के संचालन के लिए धनराशि का आवंटन प्रदान किया जाता है।

विद्यालय में अध्ययन के लिए नामांकित छात्रों से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति के छात्रों का भी नामांकन विद्यालय में किया गया था तथा उन छात्रों पर भी विद्यालय द्वारा विभिन्न मदों जैसे भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म, पुस्तक आदि पर व्यय किया जा रहा था। वर्ष 2012–13 से 2017–18 (07/2017 तक) के दौरान नामांकित छात्रों का विवरण निम्नवत् है;

शिक्षा सत्र	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल योग
2012–13	85 **(49 %)**	90	175
2013–14	81 **(46 %)**	94	175
2014–15	85 **(49 %)**	90	175
2015–16	86 **(49 %)**	89	175
2016–17	84 **(48 %)**	91	175
2017–18 (07/2017 तक)	87 **(50 %)**	88	175
कुल योग	**508(48.50 %)**	**542**	**1050**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि में विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ–साथ 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन किया गया था तथा उन पर भी भोजन आदि मदों पर व्यय किया गया था। अभिलेखों की जॉच में यह भी पाया गया कि विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों को नामांकन दिये जाने के सम्बन्ध में शासन/निदेशालय स्तर से कोई अनुमति/निर्देश प्राप्त नहीं की गयी थी। निदेशालय द्वारा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत आवंटित बजट से ही दोनो वर्गो के छात्रों पर व्यय किया जा रहा था। उपरोक्त अवधि में अध्ययनरत छात्रों के भोजन, युनिफार्म, चिकित्सा, पुस्तक क्रय आदि मदों में किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है;

(धनराशि रु0 लाख में)

शिक्षा सत्र	भोजन मद	सामग्री सम्पूर्ति	औषधि रसायन	कुल योग
2012–13	17.50	6.74	00	24.24
2013–14	19.25	8.50	00	27.75
2014–15	23.62	9.04	0.05	32.71
2015–16	33.69	9.95	0.04	43.68
2016–17	35.69	3.30	0.50	39.49
2017–18 (07/2017 तक)	5.79	3.29	00	9.08
कुल योग	**135.54**	**40.82**	**0.59**	**176.95**

उपरोक्त विवणानुसार उपरोक्त अवधि में कुल व्यय रु0 176.95 लाख में से 48.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के नामांकित छात्रों पर धनराशि रु0 85.82 लाख का अनुचित व्यय इकाई द्वारा किया गया। जिसके लिए शासन/निदेशालय स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन के सम्बन्ध में मार्च 2016 में पत्र प्रेषित कर निदेशक, जनजाति कल्याण से निर्देश मॉगे गये थे। परन्तु वर्तमान तक निदेशालय स्तर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह भी अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत आवंटित अनुदान से ही इन पर भी व्यय किया जाता है।

अतः अनुसूचित जनजाति के लिए स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालय में बिना अनुमति के नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों पर धनराशि रु0 85.82 लाख का अनुचित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर :1- बिना स्वीकृत पद के कार्यरत 06 शिक्षक को विगत तीन वर्षो से वेतन मद में धनराशि ₹ 52. 91 लाख की अनियमित भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल 2012 के नियम 32 के अनुसार Officers and staff likely to be on duty and the actual pay to be drawn by each irrespective of the Sanctioned strength. Keeping in view the objectives of economy and efficiency, a periodic review of the departmental cadre structure should undergo at least once in five years with a view to reduce unnecessary flab of departmental structure.

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरिपुर, कालसी के लेखापरीक्षा के दौरान विद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची से यह देखा गया की पद स्वीकृत न होने के बावजूत भी 03 भिन्न भिन्न विषय पर शिक्षक विगत तीन वर्षो से कार्यरत है एवं उनके वेतन आदि मदों पर विगत तीन वर्षो से भुगतान किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है।

पदनाम (विषयवार)	स्वीकृत पद	नाम	विद्यालय में तैनाती तिथि	तैनाती तिथि से वर्त्तमान तक भुगतानित वेतन
स: अ: (एल. टी)-सामाजिक विज्ञानं	01	श्रीमती ममता चौहान	10-07-2010	--
		श्रीमती सुमनकांता बिष्ट	10-05-2017	225600=00
		श्री राजीव मेसी	04-08-2014	2183422=00
		श्रीमती लिक्को देवी	04-07-2017	61996=00
सिलाई अध्यापिका	00	श्रीमती गीता पाण्डेय	04-07-2017	77272=00
		श्रीमती सविता राणा	03-08-2015	1121213=00
मनोवैज्ञानिक	00	श्रीमती प्रीती मेसी	04-08-2014	1621814=00
			कुल योग	**5291317=00**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर विद्यालय के तरफ से अप्पत्ति पर सहमत होते हुए बताया गया की निदेशालय स्तर पर समायोजन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था पर उत्तर अपेक्षित है। साथ में यह भी पूछा गया था की विद्यालय में सिलाई अध्यापिका एवं मनोवैज्ञानिक से क्या कार्य लिया जाता है तो उत्तर में बताया गया की किसी शिक्षक के अनुपस्थिति में आसान विषय को पढ़ाने का काम कराया जाता है।

अतः स्पष्ट रूप से यह देखा जा रहा है की छह (06) शिक्षक को अनावश्यक रूप से विद्यालय में तैनात किया गया एवं विगत तीन वर्षो से वेतन मद में ₹ 52.91 लाख धनराशि भुगतान किया गया जो की विद्यालय के बजट के ऊपर अनावश्यक भार प्रदान कर रहा है जो की नही होना चाहिए था।

अतः उपरोक्त प्रकरण को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 2- आवासीय विद्यालय के छात्रावास में 04 कमरों का प्रयोग अन्य कार्यो हेतु किया जाना तथा छात्रों को पानी आदि जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना।

लेखापरीक्षा के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित 175 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय, हरिपुर कालसी के छात्रावास का आज दिनांक 26.08.2017 को विद्यालय कार्मिक की उपस्थिति में भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रावास के एक कमरे में कक्षा कक्ष का संचालन किया जाता है तथा अन्य दो कमरों में निष्प्रयोज्य हुई चौकी, कुर्सी, आलमारी, बच्चों की कापियॉ, पानी की टंकी आदि सामग्री पूरी तरह से भरी पडी है। इसके अतिरिक्त एक और कमरे में स्टोर सामग्री रखी गयी है। इस प्रकार से 175 क्षमता के छात्रावास के 12 कमरों में से 04 कमरों में बच्चों के आवासीय कार्य से वंचित कर अतिरिक्त कार्य जैसे कक्षा कक्ष एवं स्टोर सामग्री आदि के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में 12 बच्चों के निवास का प्रावधान है तथा प्रत्येक बच्चे के लिए एक आलमारी तथा एक चौकी होती है। यह भी पाया गया कि विगत पॉच वर्षो में विद्यालय 175 बच्चे प्रतिवर्ष नामांकित थे। छात्रावास में निवास कर रहे बच्चों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक कमरों में 21 से 31 बच्चे निवास करते है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि छात्रावास के 12 कमरों में से 04 में निवास के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरुप 12 बच्चों की क्षमता वाले कमरों में 21 से 31 बच्चे रहने के लिए मजबूर हो रहे है। जिससे उनके शिक्षण कार्य एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि छात्रावास के टायलेट एवं बाथरुम में बिना बाधा के पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों द्वारा टायलेट के लिए सामने बनी टंकी से बाल्टी आदि से पानी लेकर प्रत्येक दिन प्रयोग किया जाता है तथा स्नान आदि बाहर बनी टंकी के पास खुले में करने के लिए बाध्य है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि छात्रावास के तीन कमरों में निष्प्रयोज्य सामग्री रखी गयी है तथा एक कमरे में अस्थाई रुप से एक कक्षा कक्ष का संचालन किया जा रहा है जो एक दो दिन में स्थाई कक्षा कक्ष में स्थान्तरित कर दिया जाएगा। निष्प्रयोज्य सामग्री का आकलन कर निदेशालय स्तर से कमेटी गठित कराकर निलामी कर दी जाएगी। यह भी अवगत कराया कि विद्यालय में जल संस्थान द्वारा पानी की आपूर्ति की मात्रा एवं समय सीमित है जो छात्र संख्या के अनुरुप पर्याप्त नहीं है। भूमिगत वाटर टैंक का प्रस्ताव एवं आगणन निदेशालय को पूर्व में प्रेषित है, बजट आवंटन होने पर उक्त समस्या का निराकरण हो जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त पानी की आवश्यकता छात्रों के मूलभूत आवश्यकता होती है तथा निष्प्रयोज्य सामग्री की निलामी पूर्व में ही कर दिया जाना चाहिए था जिससे कि छात्रों को कोई परेशानी न होती।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
77	2012–13	शून्य	01,02,03,04	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्रीडास्थल के अभाव के बावजूद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खो खो एवं कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री बी0 सी0 रतूडी	प्रधानाचार्य
2	श्री नवीन भारतीय	प्रधानाचार्य

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हरिपुर, कालसी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र